प्रेस नोट- थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक - 14.08.2026

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा दहेज उत्पीड़न के अभियोग में वांछित अभियुक्त पति रिजवान खाँ गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के कुशल नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 27.07.2026 को वादिनी शादवी पत्नी रिजवान खाँ पुत्री अच्छन बेग निवासी ग्राम बढ़ौरा, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना पुवायाँ पर दी गई तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 430/2026 धारा 85, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम रिजवान खाँ पुत्र सिकंदर (पति), रेशमा पत्नी सिकंदर (सास), सावान पुत्र सिकंदर (देवर), नीलोफर पुत्री सिकंदर (ननद), जैद पुत्र इन्तजार (बहनोई) एवं रफ्फन खाँ पुत्र लियक्कू (ममिया ससुर) पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण पर वादिनी से अतिरिक्त दहेज में एक प्लाट एवं ₹03 लाख नगद की मांग करने, शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, गाली-गलौज कर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 89 बीएनएस की वृद्धि की गई। आज दिनांक 14.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रिजवान खाँ पुत्र सिकंदर निवासी ग्राम गुरेला, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी, उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 13:25 बजे मोहम्मदी मोड़ पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। उक्त मुकदमे में अभियुक्त रिजवान खाँ की यह प्रथम गिरफ्तारी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

रिजवान पुत्र सिकंदर निवासी ग्राम गुरेला थाना मोहम्मदी जनपद खीरी उम्र करीब 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 430/2026 धारा 89/85/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान का विवरण-

दिनांक 14.08.2026 को समय करीब 13.25 बजे, मोहम्मदी मोड़ पुल के नीचे से

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. व0उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।
2. का0 2251 अक्षय बालियान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर।